न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2020

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स नाईन्टी डिग्री स्टोन प्रा0लि0 जरिये निदेशक विनीत पाटनी, मदनगंज किशनगढ़

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 वास्ते निर्णय दिनांक 14.01.2020 के संबंध में संशोधन बाबत्

दिनांकः 31.1.20

उपस्थितः प्रार्थी

अप्रार्थी

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2020 को अप्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 के तहत् मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में जारी निर्णय दिनांक 14.01.2020 के संबंध में संशोधन बाबत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –
अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 14.01.2020 को जारी आदेश में सहवन से खसरा नम्बर 198/2/2 व खसरा नम्बर 27/3 अंकित किये गये है जो कि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि नहीं होकर अन्य खातेदार की कृषि भूमि है एवं इसी प्रकार उक्त आदेश के बिन्दू सं0 2 में सहवन से ग्राम चून्दड़ी स्थित अप्रार्थी कम्पनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 256/198 व ग्राम बड़गांव स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 42 व 41/1 व बिन्दू सं0 4 में ग्राम बड़गांव स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 42 एवं बिन्दू सं0 6 में ग्राम चून्दड़ी स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 256/198 व ग्राम बड़गांव स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 42 व 41/1 दर्ज होने से छूट गये है। अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर संशोधन आदेश जारी करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पैरोकार सरकार तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा अपना जवाब पेश कर अप्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार कार्यवाही करने में अपनी अनापत्ति/सहमती पेश की। पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी कम्पनी ग्राम चून्दड़ी स्थित ख0नं0 256/198 व ग्राम बड़गांव स्थित ख0नं0 41/1, ख0नं0 41/2, ख0नं0 42, ख0नं0 27/1 व ख0नं0 27/2 कुल खसरा 6 की ही खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 27/3 रकबा 02–01–00 किस्म बारानी–3 आर.के. मार्बल प्रा.लि. मदनगंज किशनगढ़ जरिये निदेशक सर्व श्री अशोक कुमार, सुरेश कुमार, विमल कुमार पि. श्री कंवरीलाल पाटनी कौम जैन सा. आर.के हाऊस सिटी रोड़ मदनगंज किशनगढ़ खातेदार के नाम एवं ख0नं0 198/2/2 रघुनाथ पुत्र सुवा के नाम दर्ज रिकार्ड है।

4. पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन अनुसार स्पष्ट है कि पूर्व आदेश दिनांक 14.01.2020 में सहवहन से खसरा नम्बर 198/2/2 व ख0नं0 27/3 गलत दर्ज हुए है तथा आदेश के बिन्दू सं0 2 में ग्राम चून्दड़ी के ख0नं0 256/198 व ग्राम बड़गांव के ख0नं0 41/1 व ख0नं0 42 तथा बिन्दू सं0 4 में ग्राम बड़गांव के ख0नं0 42 एवं बिन्दू सं0 6 में ग्राम चून्दड़ी के ख0नं0 256/198 व ग्राम बड़गांव के ख0नं0 41/1 व ख0नं0 42 जो दर्ज होने से छूट गये है। अतः पैरोकार सरकार तहसीलदार किशनगढ़ की अनापत्ति/सहमती अनुसार अप्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 14.01.2020 में अंकित खसरा नम्बरान् 198/2/2 एवं 27/3 को हटाया जाकर पढ़े जाने तथा आदेश के बिन्दू सं0 2 में ग्राम चून्दड़ी के ख0नं0 256/198 व ग्राम बड़गांव के ख0नं0 41/1 व ख0नं0 42 तथा बिन्दू सं0 4 में ग्राम बड़गांव के ख0नं0 42 एवं बिन्दू सं0 6 में ग्राम चून्दड़ी के ख0नं0 256/198 व ग्राम बड़गांव के ख0नं0 41/1 व ख0नं0 42 को जोड़ा जाकर पढ़े जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त संशोधन आदेश मूल निर्णय दिनांक 14.01.2020 का ही हिस्सा/भाग होगा तथा शेष आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.1.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.04.05 10:08:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: